

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

ग्राम— सिलतरा,
फेस – II, सिलतरा औद्योगिक
विकास केन्द्र के पास,
तहसील एवं जिला – रायपुर (छ.ग.)

dh

i ; kbj .kh; I e?kkr fu/kkġ .k fj i kšVZ

dk dk; ĩ kyd I kj ká k

&% çf"kr %&

NRrhl x<+ i ; kbj .k I ġ {k.k e.My

jk; ig ¼Nñxñ½

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

खे & fl yrjk] Qd & i:] fl yrjk vks] kfxd fodkl dlla ds ikl] rgl hy , oaflyk& jk; ij ¼N-x-½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

1-0 i fj ; kst uk fooj .k%

विद्यमान में ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड ग्राम— सिलतरा, फेस—II, सिलतरा औद्योगिक विकास केन्द्र के पास, तहसील एवं जिला – रायपुर (छ. ग.) में एक संचालित स्टील उत्पादन इकाई है। तथा इस इकाई का क्षमता विस्तार प्रस्तावित है जिसमें आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट, पैलेट प्लांट, इण्डक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक अर्क फर्नेस, रोलिंग मिल एवं फैंरो एलॉज की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार में प्रस्तावित इकाईयों को विद्यमान परिसर में ही लगाया जावेगा। वर्तमान में उद्योग के पास 96.57 एकड़ परिवर्तित भूमि उपलब्ध है तथा इसी भूमि पर ही क्षमता विस्तार प्रस्तावित है। परियोजना स्थल के खसरा क्रमांक इस प्रकार है: 384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 384/5, 384/6, 384/7, 384/8, 384/9, 384/10, 384/11, 384/12, 385/1, 385/2, 385/3, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 388/1, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 388/8, 388/9, 388/10, 388/11, 388/12, 389/1, 389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2-3, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 392/8, 392/9, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397, 398, 399/1-3, 399/2।

पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं क्रमवर्ती संशोधनों के अनुसार सभी प्राथमिक धातुकर्म उद्योग को “A” श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्र. J-11011/959/2008- IA II (I), दिनांक: 27.05.2016 द्वारा ‘टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस्’ (टी.ओ.आर.) प्रदान किया गया। केंद्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित टी.ओ.आर. को समावेशित कर प्रस्तावित परियोजना द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन हेतु यह ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाई गई है।

नाबेट, क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के पत्र क्र. नाबेट/ ई.आई.ए./1619/ आर.ए./ 026 द्वारा धातुकर्म इकाई द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु अधिकृत मे. पायोनियर इन्चायरो लैबोरेटरिस् एवं कन्सल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड,

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

xke& fl yrjk| Qd & i| fl yrjk vks| kfxd fodkl dlla ds ikl | rgl hy , oaflyk& jk; ij ¼N-x½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

हैदराबाद, द्वारा केंद्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित टी.ओ.आर. को द्वारा अनुमोदित 'टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी.ओ.आर.) को समाविष्ट करते हुए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ई.आई.ए.) रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

- ए. प्रस्तावित संयंत्र स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के पर्यावरणीय कारक जैसे जल, वायु, भूमि, ध्वनि, वनस्पति, जीव, एवं सामाजिक स्तर आदि विशिष्ट गुणों का वर्तमान परिदृश्य।
- बी. प्रस्तावित परियोजना से होने वाले वायु उत्सर्जन, दूषित जल उत्सर्जन, ठोस अवशिष्ट एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर का आकलन।
- सी. प्रस्तावित परियोजना से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा हरित पट्टिका विकास को समसहित करते हुये पर्यावरण प्रबंधन के उपाय (ई.एम.पी.)।
- डी. परियोजना उपरांत पर्यावरणीय अनुविक्षण कार्यक्रम तथा पर्यावरण प्रबंधन हेतु बजट।

çLrkfor ifj; kstuk {ks= ds vkl & ikl 10 fdykehVj dh f=T; k ea fLFkr i; kbj .kh; nf"V l s egRoi w kZ LFkyka dh tkudkj h%

परियोजना क्षेत्र के 10 कि.मी. त्रिज्या के अंतर्गत की पर्यावरणीय परिस्थिति निम्नलिखित हैं:

- ✓ प्रस्तावित परियोजना स्थल, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.01.2010 क्रमवर्ती संशोधन द्वारा अधिसूचित किसी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र/ समूह में सूचीबद्ध नहीं है।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना सिलतरा औद्योगिक विकास केन्द्र के निकटस्थ स्थित है।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना स्थल रायपुर क्षेत्र में आता है जो की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा श्रेणीबद्ध सेपी अनुक्रमणी (सी.ई.पी.आई.) सूचक-65.45 है।

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

xke& fl yrjk| Qd & 11| fl yrjk vks| kfxd fodkl dlla ds ikl | rgl hy ,oaflyk& jk; ij ¼N-x-½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

- ✓ प्रस्तावित परियोजना स्थल से समीपस्थ गाँव ग्राम: सोंझा 0.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- ✓ परियोजना स्थल की 10 कि.मी. त्रिज्या के अंतर्गत किसी प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य / आरक्षित वन स्थित नहीं है।
- ✓ परियोजना स्थल के समीप में खारून नदी एवं छोकरा नाला बहते हैं जिनकी दूरी जो स्थल से क्रमशः 1.8 कि.मी. एवं 0.9 कि.मी. है।
- ✓ राष्ट्रीय राज्य मार्ग (रा.रा. 200), परियोजना स्थल से 2.4 कि.मी. की दूरी से गुजरती है।
- ✓ निकटतम रेलवे स्टेशन मांढर है जो परियोजना स्थल से 7.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- ✓ किसी भी प्रकार की वन्य भूमि का परियोजना स्थल में समावेश नहीं है।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दर्ज नहीं है तथा किसी भी न्यायालय ने परियोजना के विरुद्ध आदेश नहीं दिया है।
- ✓ सिलतरा, औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर के फेस-1 एवं फेस-2 में विभिन्न प्रकार अनेक के उद्योग उपस्थित हैं। समीपस्थ औद्योगिक इकाईयाँ निम्नलिखित हैं:
 1. बलदेव एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
 2. भगवती स्टील एण्ड पावर लिमिटेड
 3. पी.डी. इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
 4. रश्मि स्पंज एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड
 5. जी.आर. स्पंज लिमिटेड
 6. एस.के.एस. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, आदि

1-1 परियोजना का विन्यास, उत्पादन क्षमता % &

प्रस्तावित स्टील उत्पादन इकाई के क्षमता विस्तार में निम्न उत्पादों का उत्पादन प्रस्तावित है:

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

Environmental & Industrial Engineering Consultants Pvt. Ltd.

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

Ø-	bdkbl	विद्यमान संचालित (पर्यावरणीय स्वीकृति एवं स्थापना सम्मति प्राप्त)	प्रस्तावित क्षमता विस्तार	क्षमता विस्तारोपरान्त कुल उत्पादन क्षमता
1.	आयरन ओर बेनिफिकेशन एवं पैलेटाजेशन प्लांट	...	1 x 2000 टी.पी.डी. या 2 x 1000 टी.पी.डी. = (0.6 मि.टन/वर्ष)	1 x 2000 टी.पी.डी. या 2 x 1000 टी.पी.डी. = (0.6 मि.टन/वर्ष)
2.	पैलेट प्लांट हेतु गैसीफायर	...	14250 सामान्य मी. ³ /घण्टा	14250 सामान्य मी. ³ /घण्टा
3.	डी.आर.आई. किलन (स्पंज आयरन)	2 x 350 टी.पी.डी. =(210,000 टन/वर्ष)	2 x 350 टी.पी.डी. =(210,000 टन/वर्ष)
4.	स्टील मेल्टिंग शॉप			
a.	सी.सी.एम. युक्त इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगॉट्स/बिलेट्स/ब्लूमस)	1 x 350 टन =(86400 टन/वर्ष)	3 x 15 टन =(162000 टन/वर्ष)	2x12 मि.टन एवं 3 x15 मि.टन = (248400 टन/वर्ष)
b.	ए.ओ.डी./वी.ओ.डी. के साथ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एवं कास्टर (एम.एस. इंगॉट्स/बिलेट्स/ब्लूमस)	...	2 x 20 मि.टन =(12000 टन/वर्ष)	2 x 20 मि.टन =(12000 टन/वर्ष)
5.	रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट/स्ट्रक्चरल स्टील/टी.एम.टी. बार)	1x322.5 टी.पी.डी. + 1x161.7 टी.पी. डी. = (145250 टन/वर्ष)	1 x 650 टी.पी.डी. =(200000 टन/वर्ष)	1 x 322.5 टी.पी.डी.+1x161.7 टी.पी.डी. + 1 x 650 टी.पी.डी. =(345250 टन/वर्ष)
6.	रोलिंग मिल हेतु गैसीफायर	...	15500 सामान्य मी. ³ /घण्टा	15500 सामान्य मी. ³ /घण्टा
7.	फैरो एलॉयज़ (2 x 9 एम.वी.ए.)			2 x 9 एम.वी.ए.
	i. फैरो सिलिकॉन	...	12600 टन/वर्ष	12600 टन/वर्ष
	या		या	या
	ii. सिलिको मैग्निज़	...	28400 टन/वर्ष	28400 टन/वर्ष
	या		या	या
	iii. सिलिको मैग्निज़	...	37000 टन/वर्ष	37000 टन/वर्ष
8.	पावर प्लांट— डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित	18 मेगावाट	18 मेगावाट
9.	पावर प्लांट— एफ.बी.सी. आधारित	7 मेगावाट	7 मेगावाट

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

Steel & Iron Works Pvt. Ltd. & Iron Works Pvt. Ltd. dha ds ik l] rgl hy , oaflyk& jk; ij 1N-x-1/2

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

1-2 dPps i nkFk% &

प्रस्तावित विस्तार परियोजना में निम्न पदार्थों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जावेगा:-

Øñ	dPps i nkFk%	Ekk=k (टन प्रति वर्ष / कि.ली./वर्ष)	L=k%	i fjogu ds l /ku
1-	vk; ju vkj cfufQds ku lyk/ gr%			
	आयरन ओर फाइन्स	900000	स्थानीय / उड़ीसा क्षेत्र	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
2-	isy/ lyk/ gr%			
	आयरन ओर कॉन्सन्ट्रेट	630000	स्व-उत्पादन	ढके हुए ट्रकों कन्वेयर द्वारा
	बेन्टोनाइट	9000	गुजरात	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	लाइम स्टोन	9000	छत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	कोक ब्रीज	21450	छत्तीसगढ़ / आन्ध्रप्रदेश	समुद्र मार्ग / रेल एवं सड़क परिवहन
	कोल गैसिफायर	स्वदेशी	एस.इ.सी.एल.	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
		आयातित	इन्डोनेशिया / दक्षिण आफ्रिका / ऑस्ट्रेलिया	समुद्र मार्ग / रेल एवं सड़क परिवहन
3-	bUMD' ku Quil gr%			
	स्पंज आयरन	132000	स्व-उत्पादन	सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	स्क्रेप	42970	रायपुर	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	फैरो एलॉयज	12350	स्व-उत्पादन
4-	byfDV'd vkdZ Quil] , -vksMh-@oh-vksMh- ds l kFk , oa dkLVj bdkbZ			
	स्पंज आयरन	108000	स्व-उत्पादन	सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	स्क्रेप	24000	रायपुर	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	फैरो एलॉयज	6000	स्व-उत्पादन
5-	jkfyx fey gr%			
	बिलेट्स / इंगोट्स	216600	स्व-उत्पादन
	कोल गैसिफायर	स्वदेशी	एस.इ.सी.एल.	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
		आयातित	इन्डोनेशिया / साउथ आफ्रिका / ऑस्ट्रेलिया	समुद्र मार्ग / रेल एवं सड़क परिवहन
	फर्नेस ऑइल (कि.ली./वर्ष)	11450	रायपुर	सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
6-	Qj ks fl fydkWu mRi knu gr%			
	क्वार्टज	16890	छत्तीसगढ़ / आन्ध्रप्रदेश	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	एल.ए.एम. कोक	5600	छत्तीसगढ़ / बिहार	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

खे & fl yrjk] Qd & i] fl yrjk vks] kfxd fodkl dlla ds ikl] rgl hy ,oaflyk& jk; ij \N-x-½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

Øñ	dPps i nkFKZ	Ekk=k (टन प्रति वर्ष/ कि.ली./वर्ष)	L=ksr	i fjogu ds l k/ku
	एम.एस. स्क्रेप	350	रायपुर	ढके हुए ट्रकों द्वारा
	इलेक्ट्रोड पेस्ट	840	आन्ध्रप्रदेश (वाइजेक)	रेल एवं सडक परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
7-	fl fydkf efXu t+mRi knu grf&			
	मेग्निज़ ओर	31780	एम.ओ.आई.एल. /ओ.एम.सी.	रेल एवं सडक परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	मिनि. स्लैग	18000	स्व-उत्पादन	...
	क्वार्टज़	7800	छत्तीसगढ़/ आन्ध्रप्रदेश	रेल एवं सडक परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	एल.ए.एम. कोक	3160	छत्तीसगढ़/ बिहार	रेल एवं सडक परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
8-	Qjks efXu t+mRi knu grf&			
	मेग्निज़ ओर	53400	एम.ओ.आई.एल. /ओ.एम.सी.	रेल एवं सडक परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	एल.ए.एम. कोक	30780	छत्तीसगढ़/ बिहार	रेल एवं सडक परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	एम.एस. स्क्रेप	2060	रायपुर	सडक परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
	इलेक्ट्रोड पेस्ट	6160	आन्ध्रप्रदेश (वाइजेक)	सडक परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा

1-3 mRi knu cfØ; k%&

1-3-1 vk; ju vkj cfufQds ku%

परिष्करण यानी बेनिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आधात्री रूपी घटकों को एलुमिना, सिलिका जैसे पदार्थों को लौह अयस्क (आयरन ओर) से पृथक करना, फ़ैरिक ऑक्साइड (Fe_2O_3) एवं फ़ैरोफ़ैरिक ऑक्साइड (Fe_3O_4) तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया में लौह धातु के अंश को अधिकतम संभव सीमा तक परिष्कृत किया जा सकता है तथा अधिकतम 70 प्रतिशत यानी शुद्ध रूप तक प्राप्त किया जास कता है।

1-3-2 i sy/kbt fku

आयरन ओर फाइन्स को बॉल मिल में पीसा (ग्राइंड) किया जावेगा। सांद्रित पदार्थ को थिकनर तदोपरांत फिल्ट्रिंग इकाई में भेजा जावेगा। फिल्टर केक को ट्रैवलिंग ग्रेट किल्न युक्त पैलेट प्लांट में भेजा जावेगा। इस प्रक्रिया द्वारा ग्रीन पैलेट का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। ट्रैवलिंग ग्रेट किल्न से उत्सर्जित गैसस् को ई.एस.पी. द्वारा उपचारित कर चिमनी द्वारा वायु मण्डल में छोड़ा जाना प्रस्तावित है।

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

xke& fl yrjk| Qd & 11| fl yrjk vks| kfxd fodkl dlla ds ikl | rgl hy , oaflyk& jk; ij 1N-x-1/2

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

1-3-3 LVhy eFYVx 'kkW %

स्पंज आयरन को स्क्रेप एवं फ्लक्ससेस के साथ स्टील मैल्टिंग शॉप में गलाया जाता है जिससे शुद्ध तरल स्टील का उत्पादन होता है आकार के मोल्ड में डाल कर या कंटेन्युअस कास्टर से इंगॉट या बिलेट्स का उत्पादन किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना में बिलेट / इंगॉट / ब्लूमस् के उत्पादन हेतु 15 टन क्षमता की 3 इन्डक्शन फर्नेस तथा ए.ओ.डी., वी.ओ.डी. एवं कास्टर युक्त 20 टन क्षमता की 2 आर्क फर्नेस लगाया जाना प्रस्तावित है।

1-3-4 jkfyx fey%

परियोजना में बिलेट को गर्म करने के लिये 1 x 650 टी.पी.डी. क्षमता की एक रीहीटिंग फर्नेस का लगाया जाना प्रस्तावित है। फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रोड्यूसर गैस / फर्नेस ऑइल का उपयोग किया जावेगा। परियोजना बार एवं राउंड मिल लगाया जाना प्रस्तावित है जिसकी उत्पादन क्षमता 650 टन प्रतिदिन है जिससे टी.एम.टी. बार / स्ट्रक्चरल्स स्टील का उत्पादन किया जावेगा।

1-3-5 Qjks , ykW t+lyka/%

विद्यमान संयंत्र में 9 एम.वी.ए. (प्रत्येक) वाले 2 सबमर्ज इलेक्ट्रिक अक्र फर्नेस का लगाया जाना प्रस्तावित है। सबमर्ज आर्क फर्नेस में उच्च वोल्टेज के विद्युत प्रवाह कर कोक, क्वाट्ज़ एवं डोलोमाइट के साथ मैगनीज़ ओर की स्मैल्टिंग की जाती है जिससे फ़ैरो एलॉयस् का उत्पादन किया जाता है।

1-3-6 çkM; q j xS lyka/ 1/2xS| Qk; j1/2%

पैलेटाइजेशन एवं रोलिंग मिल इकाईयों में ईंधन की आपूर्ति करने हेतु परियोजना में प्रोड्यूसर गैस प्लांट (गैसिफायर) की स्थापना करना प्रस्तावित है। इस में कोयले को लिफ्टिंग प्रणाली द्वारा स्टोरेज बिन में लाया जावेगा तथा प्रोग्रामेबल फीडिंग प्रणाली द्वारा कोयले को 2 प्रक्रम (स्टेज) वाले गैसिफायर की कार्बोनाइजेशन स्टेज में डाला जावेगा। फर्नेस के निचले हिस्से में ब्लोवर द्वारा वायु छोड़ी जाती है। इसी समय बैडिंग बिन में कम दाब वाली वाष्प भी छोड़ी जाती है जिससे वायु तथा वाष्प का मिश्रण होता

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

खे & fl yrjk] Qd & 11] fl yrjk vks] kfxd fodkl dlla ds ikl] rgl hy , oaflyk& jk; ij ¼N-x½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

है तथा ये मिश्रण ही गैसिफिकेशन एजेंट का कार्य करता है तथा सेमीकोक प्रक्रम (स्टेज) पर 1200 डिग्री सें. पर गैसिफिकेशन क्रिया समपन्न होती है।

1-4 ty dh vko' ; drk%

प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु 1525 घन मीटर प्रतिदिन अतिरिक्त जल की आवश्यकता का अनुमान है। जिसमें आयरन ओर बेनिफिकेशन इकाई, पैलेटाजेशन प्लांट, इण्डक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, रोलिंग मिल फैंरो एलॉयज़ इकाईयों के लिये मेक-अप जल की मात्रा सम्मिलित है। वर्तमान में संचालित इकाईयों हेतु लगभग 904 घन मीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। वर्तमान में संचालित तथा प्रस्तावित इकाईयों के संचालन हेतु आवश्यक जल की राशी छ.ग. इस्पात भूमि लिमिटेड द्वारा प्रदाय किया जावेगा। वर्तमान में छ.ग. इस्पात भूमि लिमिटेड के साथ 1100 घन मीटर प्रतिदिन जल प्रदाय करने हेतु एग्रिमैन्ट किया गया है तथा अतिरिक्त जल राशी के प्रदाय हेतु एग्रिमैन्ट छ.ग. इस्पात भूमि लिमिटेड से साथ प्रस्तावित इकाईयों के संचालन पूर्व कर लिया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में जल खपत निम्नप्रकार है:-

Øñ	fooj.k	vko' ; d ty dh Ekk=k ¼Lrkfor {kek foLrkj gr½
1-	आयरन ओर बेनिफिकेशन एवं पैलेटाजेशन	840.0 घन मीटर/दिन
2-	इण्डक्शन फर्नेस	225.0 घन मीटर/दिन
3-	इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	150.0 घन मीटर/दिन
4-	रोलिंग मिल	240.0 घन मीटर/दिन
5-	फैंरो एलॉयज़	50.00 घन मीटर/दिन
6-	घरेलू	20.0 घन मीटर/दिन
	dy	1525-0 ?ku ehVj @fnu

1-5 nf"kr ty mRl tL%&

प्रस्तावित संयंत्र में आयरन ओर बेनिफिकेशन इकाई, पैलेटाजेशन प्लांट, इण्डक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, रोलिंग मिल फैंरो एलॉयज़ इकाईयों क्लोज्ड कूलिंग सर्किट की स्थापना के कारण औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित संयंत्र लगभग 16 घन मीटर/दिन घरेलू दूषित जल का उत्सर्जन होगा जिसका उपचार सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

खे & fl yrjk] Qd & i] fl yrjk vks] kfxd fodkl dlla ds ikl] rgl hy , oaflyk& jk; ij ¼N-x½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

1-6 नमूने की गुणवत्ता

अनुमानित निस्त्राव के गुणात्मक विश्लेषण का सारांश निम्नलिखित टेबल में प्रदर्शित है:

पैरामीटर	सीमा
	नमूने की गुणवत्ता
पी.एच.	7.0 – 8.5
बी.ओ.डी. (मिलीग्राम/ ली)	200 – 250
सी.ओ.डी. (मिलीग्राम/ ली)	300 – 400
टी.डी.एस. (मिलीग्राम/ ली)	800 – 900
ऑइल एण्ड ग्रीस (मिलीग्राम/ ली)	...
एस.एस. (मिलीग्राम/ ली)	...

2-0 पर्यावरण के गुणवत्ता

प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारकों जैसे परवेशीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनी स्तर, पेड़-पौधे, जीव-जन्तु एवं समाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर बेस लाइन डाटा बनाया गया।

2-1 पर्यावरण के गुणवत्ता

डिसेम्बर 2016 से फरवरी 2017 तक 8 स्टेशनों पर पी.एम_{2.5}, पी.एम₁₀, एस.ओ₂, एन.ओ_x एवं सी.ओ. हेतु परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया। परवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के दौरान इन कारकों का मान इस प्रकार है:

पैरामीटर	सीमा	मापन
1. पी.एम _{2.5}	:	39.5 से 52.9 माइक्रोग्राम/घन मीटर
2. पी.एम ₁₀ *	:	70.6 से 91.3 माइक्रोग्राम/घन मीटर
3. एस.ओ ₂	:	8.0 से 29.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर
4. एन.ओ _x	:	7.4 से 39.7 माइक्रोग्राम/घन मीटर
5. सी.ओ.	:	675 से 1225 माइक्रोग्राम/घन मीटर

* * * : पी.एम₁₀ में पॉलि एरोमैटिक हायड्रोकार्बन कि मात्रा बी.डी.एल है
बी.डी.एल. Below detection limit

2-2 पर्यावरण के गुणवत्ता

2-2-1 जल की गुणवत्ता

सतही जल की गुणवत्ता के संज्ञा हेतु प्रस्तावित स्थल से 1.8 कि.मी. दूर बहने वाली खारून नदी से 2 नमूने (सैम्पल) धारा प्रतिकूल (अपस्ट्रीम) तथा अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम)

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

खे & fl yrjk] Qd & i] fl yrjk vks] kfxd fodkl dlla ds ikl] rgl hy , oaflyk& jk; ij ¼N-x½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

मे तथा 0.9 कि.मी. दूर बहने वाले चोखरा नाला से 1 सैम्पल लिये गए हैं तथा इनका विश्लेषण किया गया। सभी नमूने बी.आई.एस.: 2296 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये हैं।

2-2-2 Hkrt y dh xq koRrk%&

आसपास के गाँवों से 8 अलग अलग जगहों से कुँए तथा बोर से सैम्पल लिये गए तथा जिसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर सभी सैम्पल बी.आई.एस.: 10500 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये हैं।

2-3- /ofu Lrj

8 अलग अलग जगहों पर रात एवं दिन में ध्वनि स्तर का मापन किया गया। जिसका ध्वनि स्तर 45.40 डी.बी.(ए.) से 67.65 डी.बी.(ए.) पाया गया है।

3-0 i ; kbj .kh; çHkkoka dk vkadyu rFkk jkdFkke%

3-1 ok; q xq koRRkk ij çHkkoka dk vkadyu %

प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित गैसेस् में मुख्यतः पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.₁₀), सल्फर डाय ऑक्साइड एवं ऑक्साईडस् ऑफ नाइट्रोजन पाये जाते हैं। इण्डस्ट्रियल सोर्स कॉम्प्लैक्स मॉडल (आई.एस.सी.एस.टी.-3) का उपयोग, भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में किया गया। माइक्रोमैट्रियोलौजिकल डाटा जैसे तापमान, हवा के बहने की गति एवं दिशा एवं अन्य मैट्रियोलौजिकल पैरामिटर्स भी इकट्ठा किए गए जिनका उपयोग मॉडल से परिणाम ज्ञात करने में किया गया। संगणित परिणामों से ज्ञात होता है कि:-

- ✓ प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत भूस्तर पर इन कारकों पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.₁₀) की सांद्रता (24 घण्टे) में भूस्तर सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 4.3 माइक्रोग्राम/घन मीटर, हवा बहने की दिशा में प्रस्तावित स्थल से 1050 मीटर दूरी पर पाई जावेगी।
- ✓ वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए पी.एम.₁₀ की सांद्रता में अधिकतम 0.60 माइक्रोग्राम/घन मीटर वृद्धि होने की संभावना है।

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

खे & फ्ल यरिज] ओ & ि] फ्ल यरिज वरि] क्खद फोक्लि दल्लै दसिक्लि] र्ग्लि ह्य ,ोफ्टिक & ज्क; िज ११-११

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

- ✓ अतः प्रस्तावित परियोजना द्वारा एवं वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन के कारण वतावरण में पी.एम.₁₀ की सांद्रता में 4.3 माइक्रोग्राम/घन मीटर + 0.60 माइक्रोग्राम/घन मीटर = 4.90 माइक्रोग्राम/घन अधिकतम वृद्धि की संभावना है।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना द्वारा एस.ओ.₂ की सांद्रता (24 घण्टे) में अधिकतम वृद्धि 6.4 माइक्रोग्राम/घन मीटर क्रमशः हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित चिमनी से 1050 मीटर दूरी पर पर पाई जावेगी।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना द्वारा एन.ओ._x की सांद्रता (24 घण्टे) में अधिकतम वृद्धि 13.2 माइक्रोग्राम/घन मीटर क्रमशः हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित चिमनी से 1050 मीटर दूरी पर पर पाई जावेगी।
- ✓ एन.ओ._x में वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 5.4 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।
- ✓ अतः प्रस्तावित परियोजना द्वारा एवं वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन के कारण वतावरण में एन.ओ._x की सांद्रता में 13.2 माइक्रोग्राम/घन मीटर + 5.4 माइक्रोग्राम/घन मीटर = 18.6 माइक्रोग्राम/घन अधिकतम वृद्धि की संभावना है।
- ✓ वाहनों द्वारा उत्सर्जित सी.ओ. की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 3.7 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

उत्सर्जन की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि

fooj.k	पी.एम. ₁₀ (-g/m ³)	एस.ओ. ₂ (-g/m ³)	एन.ओ. _x (-g/m ³)	सी.ओ. (-g/m ³)
अध्ययन क्षेत्र में अधिकतम वास्तविक सांद्रता	91.3	29.5	39.7	1225
प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के संचालनोपरांत सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	4.3	6.4	13.2	0
प्रस्तावित परियोजना के संचालन स्वरूप सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	0.6	0	5.4	3.7
कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	96.2	35.9	58.3	1228.7
अधिकतम संभावित सांद्रता	100	80	80	2000

जैसा कि संगणित परिणाम तथा प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत उत्सर्जित पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.₁₀), सल्फर डाय ऑक्साइड एवं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की अधिकतम सांद्रता राष्ट्रीय परवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है अतः

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

खे & fl yrjk] Qd & 11] fl yrjk vks] kfxd fodkl dlla ds ikl] rgl hy , oafytk& jk; ij 1N-x½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

प्रस्तावित परियोजना से वायु गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3-2 /ofu Lrj ds dkj .k çHkkok dk vkdyu%&

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत टर्बाइन, बॉयलर, कमप्रेसर तथा डी.जी. सैट इत्यादि होंगे। टर्बाइन, बॉयलर में एनक्लोजर्स लगाये जावेगे। परवेशीय ध्वनि स्तर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कि अधिसूचना दि: 14.02.2000, ध्वनी प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के मानदण्डों के अनुरूप है यानी दिन में 75 डी.बी. (ए.) एवं रात में 70 डी.बी. (ए.) से कम होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल पर लगभग 32 एकड़ भूमि पर (विद्यमान हरित पट्टिका को सम्मिलित कर) सघन वृक्षारोपण का विकास किया जाना प्रस्तावित है। जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों में कमी आएगी और आसपास के क्षेत्रों में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के कारण होने वाले ध्वनि के प्रभाव न्यूनतम रहेंगे।

3-3 ty i ; kbj .k ij çHkko%&

प्रस्तावित संयंत्र में आयरन ओर बेनिफिकेशन इकाई, पैलेटाजेशन प्लांट, इण्डक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, रोलिंग मिल फैरो एलॉयज इकाईयों क्लोज्ड कूलिंग सर्किट की स्थापना के कारण औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित संयंत्र लगभग 16 घन मीटर/दिन घरेलू दूषित जल का उत्सर्जन होगा जिसका उपचार सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। अतः इससे प्रस्तावित क्षमता विस्तार के कारण परियोजना क्षेत्र के जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा।

3-4 Hk&i ; kbj .k ij çHkko%&

प्रस्तावित परियोजना में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि की सही-सही स्थापना एवं संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जावेगा। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

खे & fl yrjk] Qd & 11] fl yrjk vks] kfxd fodkl dlla ds ikl] rgl hy , oaflyk& jk; ij 1N-x-½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

स्थल लगभग 32 एकड़ (विद्यमान हरित पट्टिका को सम्मिलित कर) भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। अतः प्रस्तावित क्षमता विस्तार के कारण भू-पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3-5 I kekftd& vkfFkd çHkko%&

प्रस्तावित परियोजना के कारण सामाजिक-आर्थिक स्थिती पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। अतः प्रस्तावित संयंत्र के लगने से भविष्य में क्षेत्र का विकास होगा। इसके कारण आसपास के लागो कि आर्थिक स्थिती, शैक्षिक तथा चिकित्सा स्तर में सुधार होगा।

4-0 i ; kbj .k vufo{k.k dk; Øe%

परियोजना-उपरांत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.एण्डसी.सी.) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार अनुवीक्षण कार्यक्रम का अनुपालन प्रस्तवति है, जो कि निम्न प्रकार है:

i ; kbj .kh; i j kehVj ds fy, fuxjkuh dk; Øe

Øekd	fooj .k	vufo{k.k vkofYk	ueus yus fd vof/k	i j kehVj
1 ty rFkk fuL=ko fd xqkoRrk				
a.	ty xqoRrk	मासिक (हेवी मेटल को छोड़कर, जिन्हे 3 माह में एक बार करना है।)	ग्रॅब नमूने	आई एस : 10500
b.	दूषित जल उपचार संयंत्र के मुख पर दूषित जल की गुणवत्ता	पाक्षिक	ग्रॅब नमूने	
c.	घरेलू दूषित जल	पाक्षिक	ग्रॅब नमूने	
2 ok; q xqoRrk				
d.	स्टेक	ऑन-लाइन मासिक		पी.एम., एस.ओ ₂ , एन.ओ. x
e.	परवेशीय वायु गुणवत्ता	सप्ताह में दो बार	24 घण्टे लगातार	पी.एम ₁₀ , पी.एम _{2.5} , एस.ओ ₂ , एन.ओ. x
f.	फ्युजिटिव उत्सर्जन	मासिक	8 घण्टे में एकबार	पी.एम.
3 e ⁹ fe; dkj d				
a.	मौसमिय डाटा	दैनिक	लगातार	तापमान, आद्रता, वर्षा, वायु की गति एवं दिशा
4 'kkj eki u				
a.	शोर मापन	वर्ष में 2 बार		(in dBA)

5-0 vU; v/; ; u%

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

खे & fl yrjk] Qd & i] fl yrjk vks] kfxd fodkl dlla ds ikl] rgl hy ,oaflyk& jk; ij ¼N-x½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

प्रस्तावित क्षमता विस्तार के कारण किसी भी प्रकार का पुर्नवास अथवा पुर्नस्थापन नहीं होगा, अतः पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना अध्ययन नहीं किया गया है।

6-0 i fj ; kst uk ds ykHk %

प्रस्तावित क्षमता विस्तार के कारण नए रोजगार के अवसर बनेंगे, साथ ही स्थानीय परिसम्पत्तियों का मूल्य बढ़ेगा जिसके कारण आसपास के निवासियों को लाभ होगा। सामयिक स्वास्थ्य जाँच किया जावेगा एवं प्रस्तावित संयंत्र में कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रस्तावित संयंत्र संचालन हेतु 350 कर्मचारियों का नियोजन एवं निर्माण हेतु 500 कर्मचारियों का नियोजन किया जाना प्रस्तावित है।

7-0 i ; kbj .k çca/ku ds mi k; %

7-1 ok; q i ; kbj .k%

प्रस्तावित क्षमता विस्तार में वायु प्रदूषण कि रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये जाना प्रस्तावित है।

Øi	L=ksr	Okk; q çcnWk. k fu; a=a k mi dj .k	i hñ, eñ mRl tL
1-	आयरन ओर बेनिफिकेशन एवं पैलेटाजेशन	इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रैसिपिटेटर	< 50 मिलिग्राम/घन मी.
2-	सी.सी.एम. युक्त इण्डक्शन फर्नेस	बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन सिसटम	< 50 मिलिग्राम/घन मी
3-	ए.ओ.डी./वी.ओ.डी. के साथ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एवं कास्टर	बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन सिसटम	< 50 मिलिग्राम/घन मी
4-	सबमर्ज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन सिसटम	< 50 मिलिग्राम/घन मी
5-	रोलिंग मिल	...	< 50 मिलिग्राम/घन मी

प्रस्तावित इकाई में निम्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों को भी अपनाया जावेगा:-

- फ्युजिटिव उत्सर्जन के रोकथाम हेतु सभी कन्वेयर बेल्ट जी.आई. शीट्स द्वारा पूर्णतः ढकें होंगे।
- डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु सभी बिनस पूर्णतः ढकें होंगे।

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

xke& fl yrjk| Qd & 11| fl yrjk vks| kfxd fodkl dlla ds ikl | rgl hy ,oaflyk& jk; ij 1N-x-½

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

- पदार्थ हथालन तंत्र एवं सम्भावित धूल उत्सर्जन बिंदुओं को बैग फिल्टर युक्त डी-डस्टिंग प्रणाली से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
- सभी प्रवेश एवं निर्वहन द्वार जहाँ डस्ट उत्सर्जन की सम्भावना है को बैग फिल्टर युक्त डी-डस्टिंग प्रणाली से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

7-2 ty i ; kbj .k%

- वर्तमान में संचालित इकाईयों में शून्य निस्त्राव संकल्प का पतिपालन किया जा रहा है, जिसका परिपालन क्षमता विस्तार के बाद भी किया जावेगा।
- प्रस्तावित संयंत्र में आयरन ओर बेनिफिकेशन इकाई, पैलेटाजेशन प्लांट, इण्डक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, रोलिंग मिल फ़ैरो एलॉयज़ इकाईयों क्लोज्ड कूलिंग सर्किट की स्थापना के कारण औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा।
- घरेलू दूषित जल का उत्सर्जन होगा जिसका उपचार सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

7-3 /ofu i ; kbj .k %

प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत कमप्रेसर तथा डी. जी. सैट तथा मोटर इत्यादि होंगे। सभी उपकरणों का निर्माण केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ध्वनि उत्सर्जन हेतु मानदण्डों के अनुरूप किया जावेगा। शोर वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को इयर प्लग्स दिये जावेंगे। तदंतर सघन वृक्षारोपण ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में प्रभावकारी होगा। प्रशासनिक भवन के आसपास ध्वनि अवरोधो के रूप में वृक्षारोपण कि अनुशंसा की जाती है।

7-4 Hkw i ; kbj .k %

प्रस्तावित संयंत्र में आयरन ओर बेनिफिकेशन इकाई, पैलेटाजेशन प्लांट, इण्डक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, रोलिंग मिल फ़ैरो एलॉयज़ इकाईयों क्लोज्ड कूलिंग सर्किट की स्थापना के कारण औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। घरेलू दूषित जल का उत्सर्जन होगा जिसका उपचार सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट द्वारा किया जाना

ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड

Environmental Impact Assessment Report for the Expansion of Steel Production Capacity and Environmental Management Plan

विद्यमान स्टील उत्पादन इकाई का क्षमता विस्तार पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

प्रस्तावित है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि का सही – सही स्थापना एवं संचालन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जाने का प्रस्ताव है। ठोस अपशिष्टों का निपटान मापदण्डानुसार किया जाने का प्रस्ताव है। सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समुचित सौंदर्यकरण एवं लैंडस्केपिंग पद्धति को अपनाया जावेगा। अतः प्रस्तावित संयंत्र से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Table 7-5: Environmental Management Plan (EMM) for Air Pollution Control

Sl. No.	Activity / Source	Control Measure	Responsible Party
1.	डस्टिंग	900	सिरेमिक/ अन्य मिनरल्स आधारित उद्योगों को दिया जावेगा
2.	पैलेट इकाई से उत्पन्न एश/ डस्ट	54	ईटा बनाने वालों को दिया जाना प्रस्तावित है।
3.	स्टील मैल्टिंग शॉप स्लैग	94	लोहे को निकाल कर सड़क बनाने हेतु प्रयुक्त।
4.	रोलिंग मिल से उत्पन्न मिल स्केल	34	पुर्नउपयोग
5.	फेरो सिलिकॉन स्लैग	5	कास्ट आयरन फाउंड्रीज को दिया जाना प्रस्तावित है।
6.	सिलिको मैंगनीज़ स्लैग	75	सड़क बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
7.	फेरो मैंगनीज़ स्लैग	70	सिलिको मैंगनीज़ स्लैग के उत्पादन में पुर्नचक्रित किया जाना प्रस्तावित है।
8.	पैलेट इकाई के गैसिफायर से उत्पन्न राखड़	20	ईटा बनाने वालों को दिया जाना प्रस्तावित है।
9.	रोलिंग मिल के गैसिफायर से उत्पन्न राखड़	21	ईटा बनाने वालों को दिया जाना प्रस्तावित है।
10.	गैसिफायरों से उत्पन्न टार	8	कोल टार रिसायकलरों को दिया जाना/ सड़क बनाने वाली एजन्सियों को दिया जाना प्रस्तावित है।

7-5 Environmental Management Plan (EMM) for Air Pollution Control

प्रस्तावित परिसर में लगभग 32 एकड़ (विद्यमान हरित पट्टिका को सम्मिलित कर) भूमि सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित पूँजी लागत रु 12 करोड़ है।

7-6 Environmental Management Plan (EMM) for Solid Waste Management

प्रस्तावित परियोजना में सभी प्रकार क्रेप सिफारिशों का सख्ती से क्रियान्वयन प्रस्तावित है।